250

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः एफ3 / मु. / याता. / निरी. / 15 / 337 दिनांकः 3/2/15

श्री ....

यातायात निरीक्षक / सहायक यातायात निरीक्षक

.... आगार।

विषय– प्रभावी वाहन निरीक्षण के सम्बन्ध में दिशानिर्देश।

वर्तमान में निगम के समस्त आगारों (ग्रुप I एवं II) को माह में दो सप्ताह मुख्यालय से एस.एम.एस. के माध्यम से आगारीय क्षेत्र आवंटित कर स्वविवेक से निरीक्षण करने हेतु अन्तर आगारीय एवं अन्तर्राज्जीय निरीक्षण कार्यक्रम दिये जा रहे हैं, जिसमें निरीक्षण दल द्वारा प्रातःकालीन / रात्रि कालीन सेवाएं एवं अन्तर्राज्यीय सेवाओं का निरीक्षण करना अपेक्षित है। शेष माह में मुख्य प्रबंधक द्वारा अधीनस्थ निरीक्षण दलों को अपने स्तर पर निरीक्षण कार्यक्रम दिये जा रहे हैं।

निगम के पीक सीजन होने पर भी आय में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है, जिसमें निरीक्षण [illegible] पूर्ण कारक है, इससे यह जाहिर होता है कि बस संचालन के दौरान हो रहे राजस्व रिसाव पर निरीक्षकों द्वारा कोई प्रभावी अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। अतः भविष्य के लिए सभी निरीक्षकों का यह निर्देशित किया जाता है कि वे प्रभावी निरीक्षण करें तथा प्रतिदिन 300–400 कि.मी. का क्षेत्र कवर कर 20 वाहन प्रतिदिन चैक करेंगें।

मुख्यालय स्तर पर यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि निरीक्षण दल द्वारा जानबूझकर अधिक बिना टिकट सवारी मिलने पर भी 4 या 4 से कम बिना टिकट सवारी का रिमार्क लगाया जा रहा है। अधिक सवारी पकडे जाने पर भी छोटा रिमार्क लगाना आपके द्वारा आपके कार्य के प्रति अनिष्ठा का द्योतक है। इस क्रम मे आपको पुनः सावचेत किया जाता है कि बिना टिकट यात्री का रिमार्क वास्तविकता के अनुरूप ही लगाया जावे। अगर किसी भी स्रोत से यह पुष्ट होता है की आपके द्वारा निगम कर्तव्य के प्रति कोताही बरती गयी है तो यह मानते हुए की आपके निगम सेवा में रहने का कोई औचित्य नहीं है, आपके विरुद्ध कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(उर्मिला राजोरिया)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकःएफ3 / मु. / याता. / निरी. / 15 / 337 दिनांकः 3/2/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव,माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय रा. प. निगम जयपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ———————— रा. प. निगम जयपुर।
3. महा प्रबन्धक (यातायात) रा. प. निगम जयपुर।
4. समस्त मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (यातायात) रापनि ——————आगार।
5. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)
3/2